संख्या– /एक(72)XXVI/2005

प्रेषक,

एल0 फैनई,,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली/टिहरी गढ़वाल,
उत्तरांचल ।

नियोजन अनुभाग।

देहरादूनः दिनॉकः 31 मार्च, 2005

विषय– राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत जनपद चमोली एवं टिहरी गढ़वाल हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष वर्ष 2004–05 में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक योजना आयोग, भारत सरकार के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–पी–12053/5/2004–MLP दिनांक 23 मार्च,2005 के संदर्भ में यह अवगत कराया जाना है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सम विकास योजनान्तर्गत जनपद चमोली एवं जनपद टिहरी गढ़वाल हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत प्रस्तावित रूपये 15.00 करोड़ की वार्षिक योजना के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि के लिए प्रदान की गई है । अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय राष्ट्रीय सम विकास योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि को व्यय हेतु अनुसार जनपद चमोली तथा टिहरी गढ़वाल हेतु वर्ष 2004–05 में व्यय के लिए निम्नवत् कुल रूपये 15.00 करोड़ (रूपये पन्द्रह करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्न प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं :–

क0सं0	जनपद का नाम	धनराशि करोड रू0 में
1	चमोली	7.50
2	टिहरी गढ़वाल	7.50
	योग–रू0 पन्द्रह करोड़ मात्र	15.00

1– उक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृति के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर ही इस उद्देश्य से बनाये गये एक शीर्ष " जिला ग्रामीण विकास एजेंसी " के पक्ष में रखी जायेगी । ऐसा न करने पर बाद की किश्ते जब्त हो जाने तथा इससे पूर्व जारी किश्तों को ऋण मान लिये जाने के दिशा–निर्देश है।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग जनपद चमोली तथा टिहरी गढ़वाल की राष्ट्रीय सम विकास के अंतर्गत चयनित योजनाओं के लिए ही किया जाय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि न किया जाय। इस धनराशि का उपयोग योजना आयोग भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सम विकास योजना के लिए निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा।

3– उक्त आवंटित धनराशि को ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाये। स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों/मार्ग निर्देशक सिद्धान्त के अनुसार ही सुनिश्चित किया जायेगा।

4– राष्ट्रीय सम विकास योजना में विकास खण्ड, जिला एवं राज्य स्तर पर मासिक अनुश्रवण किया जायेगा । जनपद स्तर पर योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो के संचालन से पूर्व की स्थिति की बैंचमार्किंग/फोटो सहित विवरण तैयार कराया जायेगा । विकास खण्ड, जिला, राज्य स्तर पर मध्यावधि मूल्यांकन तथा उसके आधार पर कार्य नीति एवं योजना का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजना के अनुश्रवण हेतु योजना आयोग, भारत सरकार

द्वारा नाबार्ड (NABARD) को नामित किया गया है । अतः भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार नाबार्ड को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा ।

5– स्वीकृत धनराशि की योजनावार आवंटन की सूचना शासन को एक माह के भीतर उपलब्ध करायी जाय धनराशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन, भारत सरकार एवं महालेखाकार को यथासमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आगामी तीन माह के अंतर्गत पूर्ण उपयोग कर इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप पर शासन एवं योजना आयोग भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा । राष्ट्रीय सम विकास योजना की द्वितीय किश्त, प्रथम किश्त के पूर्ण उपयोग होने एवं भारत सरकार से धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त ही स्वीकृत की जायेगी ।

7– यह सुनिश्चित किया जाये कि स्वीकृत धनराशि को व्यय करते हुए बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, टेण्डर/कोटेशन एवं मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा निर्गत आदेश एवं अन्य तदविषयक आदेशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

8– व्यय उन्हीं मदों/योजनाओं में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है ।

9– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित जिलाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे ।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–07 के अधीन लेखाशीर्षक–3451–सचिवालय आर्थिक सेवायें–00–आयोजनागत–092–अन्य कार्यालय व्यय–01– केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें–02–राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर0एस0 वी0वाई0)–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशास0 पत्र संख्या–2065/वित्त अनु0–3/2004 दिनांक 31 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एल0 फैनई)
अपर सचिव।

संख्या– 12 मार्च (1)/एक(72)XXVI/2005/2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– उप सलाहकार, योजना आयोग (एमएलपी प्रभाग), भारत सरकार योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली को उनके उक्त पत्र दिनांक 23 मार्च, 2005 के संदर्भ में ।
3– आयुक्त,गढ़वाल मंडल,पौड़ी/मुख्य विकास अधिकारी,चमोली/टिहरी गढ़वाल।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/टिहरी गढ़वाल ।
5– निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तरांचल को मा0 मुख्यमंत्री के संज्ञानार्थ।
6– श्री एल0एम0 पंत, अपर सचिव, वित्त, बजट प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
7– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, लक्ष्मी रोड़, देहरादून/वित्त–3/गार्ड फाईल ।
8– विभागीय पत्रावली/समन्वयक,एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव।

C:\Bhatt\72-Plg-RSVY-04